

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.4( )परावि/आप्र./बी.आर.जी.एफ./क्ष.नि. 2012-13/431 जयपुर, दिनांक: 4-6-2013  
:: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ::

बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम की क्षमता निर्माण योजना 2012-13 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी राशि रुपये 868.00 लाख के उपयोग हेतु दिनांक 01.05.2013 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार क्षमता निर्माण वार्षिक योजना 2012-13 में इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान की सम्मिलित गतिविधियों में से राशि रुपये 572.72 लाख की गतिविधियों के क्रियान्वयन की सहमति प्रदान की गई है। अनुमोदित गतिविधियों का विवरण संलग्न बैठक कार्यवाही विवरण में अंकित है।

उक्त गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 200.00 लाख (अक्षरे रुपये दौ करोड़ मात्र), पंचायती राज मुख्यालय पर संधारित बी.आर.जी.एफ. बैंक खाता संख्या 61179878181 से इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के बैंक खाता संख्या 10332041000686 (औरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स, बजाज नगर, जयपुर IFSC code ORBC 0101033, MICR code 302022011 ) में अन्तरित करने की एतद् द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, विभाग मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग को उक्त स्वीकृति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
8. सांख्यिकी/रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव  
जिला आयोजना